कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 08 / 2024

श्री बालकृष्ण यादव निवासी 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड, (कृष्णा नगर) भरतपुर मो.नं. 9461700766

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 28.02.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री बालकृष्ण यादव निवासी 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड, (कृष्णा नगर) भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 85 दिनांक 13.02.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एल.आर. / 2024 / 986 दिनांक 28.02.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से 2 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। बिन्दु सं0 1 के जबाव में कार्यालय के पत्रांक एल.आर. / 2023 / 7592 दिनांक 29.12.2023 से प्रार्थी को लिखा गया है कि :—

1.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2024 / 08
बालकृष्ण यादव बनाम तहसीलदार भरतपुर

''..........बिन्दु सं0 1 के सन्दर्भ में आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है जबकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 03 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। ....''

साथ ही बिन्दु सं0 02 की सूचना पंचायतीराज विभाग से सम्बन्धित होने के कारण सीधे ही प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु, विकास अधिकारी पंचायत समिति सेवर को कार्यालय के पत्रांक एल.आर. / 2023 / 07 दिनांक 04.01.2024 से लिख दिया गया था। चाही गई सूचना के सन्दर्भ में दोनों बिन्दुओं का जबाव दिया जा चुका है। इस कारण अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्तानुसार प्राप्त जबाव से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर द्वारा जबाव दिया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर